

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म.प्र.)

// संशोधित विविध आदेश //

क्रमांक-46/एक-5-1/2010,

सिंगरौली, दिनांक-11.07.2023

माननीय उच्च न्यायालय, म0प्र0, जबपुर का आदेश क्रमांक 313/गोपनीय/2023/दो-2-33/57(पार्ट-20), जबलपुर दिनांक 03.04.2023 के द्वारा तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैढन (श्री अंजनी नंदन जोशी) का स्थानांतरण किए जाने से तब से वर्तमान अवधि तक उक्त न्यायालय रिक्त होने के कारण एवं प्रशासनिक कार्य सुचारु रूप से संचालित करने के प्रयोजन से, इस कार्यालय से जारी कार्य विभाजन पत्रक, विविध आदेश क्रमांक 2, दिनांक 17.01.2023 में नवीन संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है:-

सरल क्रमांक 03ए (श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैढन, जिला सिंगरौली) के कॉलम क्रमांक 4 के सरल क्रमांक 3 के पश्चात् क्रमांक "4" निम्नानुसार नवीन प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"जिला मुख्यालय सिंगरौली बैढन के समस्त रेप केसेस, गैंग रेप एवं रेप बिथ मर्डर के प्रकरणों की सुनवाई एवं उक्त अपराधों से संबंधित नवीन प्रकरणों की प्रस्तुति हेतु श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैढन" जिला सिंगरौली को आगामी आदेश तक के लिए अधिकृत किया जाता है।

उक्त संशोधित आदेश, आदेश दिनांक से ही प्रभावशील होगा।

-sd-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली (म0प्र0)

पृ० क्रमांक-1091/एक-5-1/2010

सिंगरौली, दिनांक-11.07.2023
12

1. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैठन
2. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, बैठन, जिला सिंगरौली (म०प्र०)

.....की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली (म०प्र०)